तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश बतूल बेगम V/s शिमलाकंवर 06/18	आदेश के अनुपालना संक्षिप्त नो
7/7/20	वकुलाम उपः तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जो शा० मि० रहे। पत्रावली में वकुलाय बहस हेतु एक अवसर चाहते हैं। जो न्यायहित में दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र दिनांक 14/7/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
14/7/20	वकुलाय उपः बहस हेतु समय चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली दिनांक: 4/8/20 को वास्ते बहस पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
04/8/2020	वकुलाम उपः बहस वकुलाम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा० पत्र ~~धारा~~ 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक: 11/8/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर	
11.8.20	वकुलाम उपः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A, स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस. मुकदमा नं. 12/2016

प्रार्थीगण :–

1. बतुल बेगम पत्नी शौकत अली
   कौम शेरानी मुस्लमान निवासीगण–बरनेल तहसील जायल, जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. शिमलाकवंर पत्नी देवेन्द्र
   कौम–राजपूत निवासीगण–बरनेल तहसील जायल जिला–नागौर
2. तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री रामनारायण चौधरी, अप्रार्थीगण 1 की ओर से।

दिनांक - 11.08.2020

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 369 रकबा 16.02 बीघा मौजा बरनेल तहसील जायल में आया हुआ ह। जिसके पूर्वी तरफ चिपता ही अप्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नं. 304 रकबा 40.10 बीघा स्थित है, तथा इसी खेत के उत्तरी तरफ कटाणी रास्ता लगता है। जिसमें से प्रार्थीया कृषि कार्य हेतु आती जाती रही है। परन्तु अप्रार्थी व उसके परिवार वाले रास्ते में आने जाने के लिए रूकावट पैदा कर रहे है। प्रार्थीया ने अपने खातेदारी का खेत अप्रार्थी के ससुर फतेहसिंह से खरीदा था। प्रार्थीया के आने जाने के लिए इस खेत अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है। अतः प्रार्थीया को खेत खसरा नं. 369 में कृषि हेतु वाहन, पशुओ को लाने व ले जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 304 के अतिरिक्त कोई भी नजदीकी रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु नहीं लगता है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 369 में आने जाने बाबत् अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 304 रकबा 40.10 बीघा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

11/8/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

1

Scanned with CamScanner

में से नजरी नक्शानुसार मार्क ए. से बी. की तरफ 16 फुट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे जिसके बदले में प्रतिफल राशि प्रार्थी वहन करने के लिए सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार जायल को हस्तगस्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2020 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनारायण चौधरी ने वकालातनामा पेश किया। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में प्रार्थीया के खेत में आने जाने के लिए सबसे नजदीकी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2020 में दर्शाये नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी है, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते की दूरी सबसे नजदीक है जिसकी दूरी 96 गठ्ठा (16 गुणा 634 – 10144 वर्गफीट)है, मौके पर भूमि खाली है, किसी तरफ का निर्माण किया हुआ नहीं है, तथा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 35393 प्रति बीघा है जिसकी दो गुणा राशि 41055 रू. बनती है। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंध में जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने एवं आगामी तारीख पेशी पर बहस किये जाने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया के खेत खसरा नं. 369 में कृषि कार्य करने हेतु आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, जिससे प्रार्थीयों को कृषि कार्य किये जाने में परेशानी होती है इसलिए प्रार्थीया को अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 304 में से आने जाने हेतु माफिक नजरी नक्शानुसार 16 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराया जावे जिसके एवज में नियमानुसार अप्रार्थी को प्रतिफल राशि का भुगतान प्रार्थीया वहन करने के लिए तैयार है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस दलीलें पेश करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज मनगढ़त तथा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का यह कहना गलत है कि प्रार्थीया को खातेदारी के खेत खसरा नं. 369 में कृषि कार्य हेतु आने जाने अथवा कृषि प्रयोजनार्थ संसाधनो के लाने व ले जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, जबकि मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल से स्पष्ट है कि प्रार्थीया के खेत खसरा नं. 369 के पूर्व दिशा में आम सड़क बनी हुई है, जो वर्तमान में चालू है, तथा अधिक सुविधाजनक भी है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251क काबिले खारिज होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया। साथ ही वकुलाय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष की पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2020 का अवलोकन किया जिसमें अंकित है कि प्रार्थीयां की रहवासी ढाणी खसरा नं. 345 में बनी हुई है तथा प्रार्थीया का खसरा नं. 344 में से स्वयं खातेदारी खेत खसरा 369 में आने जाने के लिए मार्क ए. से बी. वैकल्पिक रास्ता कृषि प्रयोजनार्थ, कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु वर्तमान में चल रहा है, साथ ही खसरा नं. 304 व 305 के पूर्वी दिशा में डामर सड़क बनी हुई है तथा मौके पर चल रही है, जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। साथ ही प्रकरण में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया गया कि जब प्रार्थीया की रहवासी ढाणी/घर पूर्व दिशा में खेत खसरा नं. 344 में बना हुआ है एवं प्रार्थीया खसरा नं. 345 से 304 तक एवं खसरा नं. 304 से 369 में किस रास्ते से जाकर वापस आयेगी का कारण सिद्ध नहीं होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए (नियम 1 व 2) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी काश्तकार को सुविधाजनक उपभोग के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा एवं वैकल्पिक रास्ता एवं साधनों का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में ही आवेदन पत्र स्वीकृत किया जा सकेगा।

अतः प्रार्थीया खेत खसरा नं 369 में कृषि कार्य के लिए स्वयं की आत्यान्तिक आवश्यकता, कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने के लिए रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं कर पाने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ स्वयं आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं कर पाने के कारण मौजा बरनेल तहसील जायल के खसरा नं. 304 से प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.8.2020 आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/8/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर

Scanned with CamScanner